REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 12 | SEPTEMBER - 2018

vykmíhu f[kyth dh iz'kklfud lq/kkj ç.kkyh

Mk- ccyw Bkdqj
O;k[;krk] bfrgkl foHkkx] jkeJh"B flag bUVj egkfo|ky;]
pkpgk] eqt¶Qjiqj] fcgkj A

प्रस्तावना :

अनेक दृष्टियों से अलाउद्दीन खिलजी का बीस वर्ष (1296–1316) का शासनकाल महत्वपूर्ण था । मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन के कुछ सुधार पूर्णतः नवीन प्रयोग कहे जा सकते हैं । यद्यपि उनकी सफलता अल्पकालीन थी तथापि इससे उनका महत्त्व कम नहीं होता।

अलाउद्दीन ने अपनी शक्ति सुदृढ़ की । वह जानता था कि वह उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित शासन कर सकता था जिसे हिंदू जनता स्वीकार करती हो । इसी कारण उसने बल्बन की जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग किया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया । उसने किसी धर्मयुद्ध की कल्पना भी नहीं की और धार्मिक उद्देश्यों पर बल न देकर समयानुकूल और व्यवहारिक शासन–व्यवस्था की विवेकपूर्ण ढंग से स्थापना की ।

iz'kklfud lq/kkj

अलाउद्दीन ने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया वरन् उसकी एक प्रभावशाली शासन–तंत्र भी प्रदान किया । अन्य मध्यकालीन शासकों के समान वह प्रशासनिक तंत्र का शिखर था । वह सेना का महासेनापति और सर्वोच्च न्यायिक तथा कार्यकारिणी शक्ति था। अलाउद्दीन ने विशाल सेना की सहायता से राज्य के सभी स्वेच्छाचारी तत्त्वों का दमन कर पूर्ण सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली । उसने पुराने अमीरों का दमन किया और वह उलेमा के आदेशों से मुक्त रहा । इस प्रकार वे दोनों ही वर्ग जो सुल्तान की सत्ता पर अंकुश रखते थे, अलाउद्दीन के समय प्रभावशाली नहीं रहे । उसकी सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यही थी कि उसने राजनीति को धर्म से प्रभावित नहीं होने दिया । उसका विचार था कि शासक का कार्य राज्य का प्रशासन चलाना था जबकि 'शरा' विद्वानों, काजियों और मुफ्तियों की थी । उलेमा भी जानते थे कि अपने हितों को किस प्रकार सुरक्षित रखें । यदि शासक धर्मांध होता था तो वे असहिष्णुता का समर्थन करते थे । परंतु उन्होने अलाउद्दीन जैसे शासक का विरोध करने का प्रयत्न नहीं किया । फ्रांस के लुई चतुर्दश एवं प्रशा के फेडरिक महान् के समान अलाउद्दीन भी सर्वशक्तिमान था और स्वयं अपना सचिव था । उसके मंत्रियों की स्थिति सचिवों और क्लर्कों जैसी थी जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और प्रशासन के कार्यों को देखते थे। वह अपनी इच्छानुसार उनकी सलाह लेता था परन्तु उसे मानने के लिए बाध्य नहीं था । प्रांतों के सूबेदार अथवा मुक्ता भी पहले से अधिक केन्द्र के नियंत्रण में थे । सल्तनत में कोई भी स्वयं को सुल्तान का समकक्ष नहीं मान सकता था ।

ea=hx.k

अलाउद्दीन ने अनेक मंत्रियों की नियुक्तियाँ करते हुए भी वास्तविक सत्ता अपने हाथों में रखी । मंत्री केवल उसे परामर्श देने व दैनिक राज्य–कार्य सँभालने के लिए थे । राज्य में केवल चार महत्वपूर्ण मंत्री ही ऐसे चार स्तंभ थे जिन पर प्रशासन रूपी भवन आधारित था । वे थे : (1) दीवान–ए–वजारत, (2) दीवान–ए–आरिज, (3) दीवान–ए–इंशा, (4) दीवान–ए–रसालत ।

मुख्यमंत्री 'वजीर' कहा जाता था और महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था । बरनी के अनुसार, ''एक बुद्धिमान वज़ीर के बिना राजत्व व्यर्थ है,'' तथा ''सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वज़ीर से बढ़कर अभियान और यश का दूसरा स्रोत नहीं है और हो भी नहीं सकता।'' सिंहासनासीन होने पर अलाउद्दीन ने ख्वाजा खातिर को वज़ीर बनाया । वह एक कुशल दीवानी प्रशासक तो था किंतु एक महान योद्धा नहीं था । अतः 1297 ई0 में अलाउद्दीन ने उसके स्थान पर नुसरत खाँ को नियुक्त किया । वह एक महान् सैनिक नेता था परंतु लोगों से धन हड़पने के कारण शीघ्र ही बदनाम हो गया । इसके बाद मलिक ताजुद्दीन काफूर को सुल्तान का नायब नियुक्त किया गया । इस प्रकार अलाउद्दीन ने वजीर का पद (जिसका मुख्य विभाग वित्त होता है) सैनिक नेताओं को सौंप दिया । वज़ीर राजस्व के एकत्रीकरण और प्रांतीय सरकारों के दीवानी पक्ष के प्रशासन में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था । सैनिक पक्ष में वह शाही सेनाओं का नेतृत्व करता था ।

वज़ीर के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण अधिकारी था 'दीवान–ए–आरिज' या सैन्य मंत्री । सेना की भरती करना, वेतन बाँटना, सेना की साज–सज्जा और दक्षता की देख–रेख करना, सेना के निरीक्षण की व्यवस्था करना और युद्ध के समय सेनापति के साथ जाना उनका कर्त्तव्य था । अलाउद्दीन के काल में मलिक नासिरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन आरिज–ए–मुमालिक था और उसका उपाधिकारी ख्वाजा हाजी, नायब आरिज था । वे मलिक काफूर के साथ दक्षिण जाते थे और दक्षिण विजयों में उनका भी योगदान था । आरिज अपने सैनिकों के प्रति सहानुभूति व दया का व्यवहार करते थे । अलाउद्दीन के समय में सैनिकों को कठोर दंड देने का कोई विवरण नहीं मिलता । अलाउद्दीन ने सैनिकों के प्रति सहृदयता की नीति को अपनाया, जिसे एक सेनानायक और एक सुदृढ़ राजनिर्माता के रूप में उसकी सफलता का रहस्य कहा जा सकता था ।

राज्य का तीसरा महत्त्वपूर्ण मंत्री 'दीवान–ए–इंशा' था । उसका कार्य शाही आदेशों और पत्रों का प्रारुप बनाना, प्रांतपति और स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना और सरकारी बातों का लेखा–जोखा रखना था । उसके पास अनेक सचिव होते थे जिन्हें ''दबीर'' कहा जाता था ।

'दीवान–ए–रसालत' चौथा मंत्री था । वह मंत्रालय पड़ोसी दरबारों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारुप तैयार करता था और विदेश जाने वाले तथा विदेशों से आने वाले राजदूतों के साथ संपर्क रखता था । आश्चर्य की बात यह है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में दीवान–ए–रसालत का पद किसके पास था, बरनी इसका उल्लेख नहीं करता है । ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन स्वयं इस मंत्रालय के कार्य को देखता था । अलाउद्दीन ने राजधनी के आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए दीवान–ए–रियासत नाम का नवीन मंत्रालय स्थापित किया । इन चार मंत्रियों के अतिरिक्त अनेक अधिकारी थे जो सचिव और राजमहल का कार्य सँभालते थे ।

U;k; i:'kklu

सुल्तान न्याय का स्रोत तथा अपील की उच्चतम दरबार था । वह खुले दरबार में न्याय करता था । अलाउद्दीन के न्याय–प्रशासन के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती। इतना अवश्य ज्ञात होता है कि सुल्तान के बाद सद्र–ए–जहाँ काज़ीउल कुजात होता था । उसके अधीन नायब काज़ी या अद्ल कार्य करते थे और उनकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे जो कानून की व्यवस्था करते थे । एक अन्य अधिकारी अमीर–ए–दाद होता था । इसका कार्य ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के दरबार में प्रस्तुत करता था जिसके विरूद्ध कोई मुक़दमा दायर किया गया हो और जो इतना शक्तिशाली हो कि काजियों द्वारा नियंत्रित न किया जा सके ।

प्रांतों में भी न्यायाधिकारियों की इसी प्रकार की पद्धति थी । वहाँ प्रांतपति, काजी और अन्य छोटे अधिकारी न्याय–प्रशासन का कार्य करते थे । छोटे शहरों में तथा ग्रामों में मुखिया और पंचायत झगड़ों को सुलझाते थे । इसके अतिरिक्त राजकुमार, सेनापति और अन्य अधिकारी भी ऐसे मामलों का निपटारा करते थे जिनमें कानून के दक्ष ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी । न्याय कार्य सरल प्रणाली के द्वारा शीघ्रता से किया जाता था ।

अलाउद्दीन इस बात का ध्यान रखता था कि उसके उच्च न्यायाधिकारी अच्छा व्यवहार करें और जीवन में भी पवित्रता रखें । ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि मदिरा पान करने वाले एक काजी को उसने दंड दिया था । आरक्षी और गुप्तचर सेनाएँ इस बात की देखभाल करती थीं कि कोई अधिकारी अत्याचारी न हो । ऐसी स्थिति के कारण अलाउद्दीन के काल में न्यायपालिका सामान्यतः निष्पक्ष थी और वह स्वयं अपील सुनता था ।

n.M fo/kku

वैसे तो सल्तनत काल के अधिकांश सुल्तानों के समय में दण्ड विधान कठोर रहा परन्तु अलाउद्दीन के समय में छोटी अपराधों पर भी अत्यन्त कठोर दण्ड दिये जाते थे । बाजार नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने, राजस्व का थोड़ा भी अंश जमा न कराने व मदिरा का तस्कर व्यापार करने पर अत्यधिक कड़े दंड दिये जाते थे । फीरोजशाह तुगलक से पूर्व यातनाओं की कठोरता का वर्णन फिरोज ने अपनी पुस्तक फुतुहात–ए–फीरोजशाही में किया है । इसमें कोई संशय नहीं है कि अलाउद्दीन के समय में दण्ड विधान अत्यधिक कठोर रहा।

iqfyl vkSj xqIrpj

अलाउद्दीन ने पुलिस–विभाग और गुप्तचर–पद्धति को कुशल तथा प्रभावशाली बनाया। उसने पुलिस–विभाग को ठोस रूप में संगठित किया । इसका मुख्य अधिकारी कोतवाल होता था । उसके अधिकार विस्तृत होते थे और उसका पद उत्तरदायित्वपूर्ण होता था । अलाउद्दीन के समय में कोतवाल का सुल्तान पर अत्यधिक प्रभाव था । अलाउद्दीन के कोतवाल अलाउलमुल्क ने उसको महत्त्वपूर्ण परामर्श देकर उसे अव्यावहारिक योजनाओं को त्याग देने के लिए बाध्य किया था । कोतवाल शांति व कानून का रक्षक था ।

अलाउद्दीन ने स्वयं पुलिस–विभाग में सुधार किए, नवीन पदों का सृजन किया और उनपर कुशल व्यक्तियों को नियुक्त किया । दीवान–ए–रियायत का नया पद बनाया जो व्यापारी–वर्ग पर नियंत्रण रखता था । 'शहना' या दंडाधिकारी भी इसी प्रकार का अधिकारी था । 'मुहतसिब' जनसाधारण के आचार का रक्षक तथा देखभाल करने वाला था । वह बाजारों पर भी नियंत्रण रखता था और नाप–तौल का निरीक्षण करता था । अनेक समकालीन लेखकों ने इस पदाधिकारी का आदर से उल्लेख किया है ।

अलाउद्दीन के गुप्तचर अधिकारी अत्यंत कुशल थे । उसने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतया संगठित किया । उसकी कुशल गुप्तचर पद्धति जनसाधारण में भय का संचार करती थी । इस विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद–ए–मुमालिक था । उसके अंतर्गत अनेक बरीद (संदेशवाहक या हरकारे) थे, जो शहरों में नियुक्त किए जाते थे । वे राज्य में घटने वाली प्रत्येक घटना की सूचना सुल्तान को देते थे । बरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किए जो 'मुनहियन' या 'मुन्ही' कहलाते थे । वे विभिन्न दर्जों के होते थे और सब वर्गों की जनता से संबंधित प्रत्येक बात की सूचना सुल्तान को देते थे । मुन्हीं, लोगों के घरों में भी प्रवेश करके गौण अपराधों को रोक सकते थे । बरनी गुप्तचर–विभाग की कठोरता के संबंध में लिखता है कि ''कोई भी उसकी (अलाउद्दीन की) जानकारी के बिना हिल नहीं सकता था, और मलिकों व अमीरों, अधिकारियों व महान् व्यक्तियों के यहाँ जो भी घटना घटती थी उसकी सूचना कालांतर में सुल्तान को दे दी जाती थी–गुप्तचरों की गतिविधियों के कारण वे अपने घरों में रात–दिन काँपते रहते थे ।'' बरनी का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, परंतु इससे अलाउद्दीन की गुप्तचर–प्रणाली की कुशलता का अनुमान होता है । अमीर, व्यापारी और जनसाधारण सब लोग बरीद व मुन्हियों से भयभीत रहते थे । मूलतः इन्हीं अधिकारियों को अलाउद्दीन के बाजार–नियंत्रण की सफलता का श्रेय जाता है ।

Mkd i)fr

सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था साम्राज्य के विभिन्न भागों में संपर्क स्थापित करने वाली कुशल डाक–पद्धति के कारण सुगम हो गई थी । अलाउद्दीन ने घुड़सवारों व लिपिकों को डाक चौकियों पर नियुक्त किया जो सुल्तान को समाचार पहुँचाते थे । अलाउद्दीन की डाक–सेवा पर्याप्त कुशलता से कार्यरत थी और सुल्तान के विभिन्न नियमों को लागू करने में सहायक होती थी । सुल्तान को विद्रोहों तथा युद्ध–अभियानों के समाचार शीघ्रता के साथ प्राप्त होते थे ।

izkarh; iz'kklu :

विभिन्न प्रांतों में केंद्र से मिलती–जुलती शासन–व्यवस्था थी । यहाँ पर प्रांतपति नियुक्त किये जाते थे । बरनी के अनुसार अलाउद्दीन के राज्य में केंद्र तथा प्रदेशों (खालसा) के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्यारह प्रांत थे : (1) गुजरात, (2) मुल्तान और सिविस्तान, (3) दिपालपुर, (4) समान और सुनाम, (5) घार और उज्जैन, (6)

झाइन, (7) चित्तौड़, (8) चंदेरी और इराज, (9) बदायूँ, कोल और कर्क (संभवतः कटेहर), (10) अवध तथा (11) कड़ा ।

प्रांतपति एक प्रकार का लघु सुल्तान था । वह प्रांत की मुख्य कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का प्रधान होता था । उसके पास स्वयं की प्रांतीय सेना होती थी और आवश्यकता पड़ने पर वह निश्चित संख्या में सैनिक सुल्तान को भेजता था । वह प्रांतीय दरबार लगाता था, न्याय करता था और प्रशासन सँभालता था । वह संपूर्ण प्रांत का लगान एकत्र करता था और अपनी नियत राशि काटकर शेष धन शाही कोष में भेजता था । मध्यकालीन भारतीय इतिहासकार प्रांतपति के लिए 'बली' या 'मुक्ता' शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक विलायत या अक़्ता का अधिकारी होता था ।

सामान्यतः मुक़्ता अपने प्रांत में रहता था । कुछ मुक़्ता शाही दरबार में भी रहते थे और अपने अधिकारियों के जरिए प्रांत का प्रशासन करते थे । जब तक वह निष्ठावान् रहता था, उसके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था परंतु यदि वह उद्दंड होता था तो उसके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता था । वह सुल्तान द्वारा नियुक्त, स्थानांतरित और पदच्युत किया जा सकता था । यह प्रांतीय राजस्व के लिए दीवान–ए–वजारत के प्रति उत्तरदायी होता था, जहाँ उनका नियमित रूप से लेखा परिक्षण होता था । उसकी सेना की संख्या भी केन्द्रीय सरकार द्वारा तय की जाती थी और वह उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता था । बरीद सुल्तान को मुक्तियों के कार्यों की पूरी सूचना देते थे । नियंत्रण संबंधी इन प्रतिबंधों को छोड़कर प्रांतपति पर्याप्त रूप से स्वतंत्र होते थे । ग़ाज़ी मलिक, मलिक काफूर और अल्प खाँ जैसे अनुभवी सेनानायकों ने अलाउद्दीन के शासन की लंबे समय तक निष्ठापूर्वक सेवा की थी जिसे अलाउद्दीन की शक्ति व सजगता का प्रमाण कहा जा सकता है ।

अलाउद्दीन के समय अनेक अधीनस्थ शासक थे जैसे देवगिरि का रामदेव और दक्षिण भारत के राजा । वे प्रांतपतियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होते थे । जब तक वे वार्षिक कर, जिसमें लगान का एक अंश सम्मिलित रहता था, नियमित रूप से देते रहते थे तब तक वे सुल्तान के कृपापात्र रहते थे । अपने सिक्कों पर उसे सुल्तान का नाम अंकित करना पड़ता था और उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था । परंतु अपने राज्य का लगान निश्चित करने, उसे एकत्र करने, न्याय करने व धार्मिक रिवाजों के पालन करने में वह स्वतंत्र था।

विशाल प्रांतों के अतिरिक्त खालसा या रक्षित प्रदेश होते थे जिनका प्रशासन केंद्र द्वारा किया जाता था । इनमें नगर और जिले होते थे । इन पर मुक़्ताओं का शासन नहीं होता था बल्कि अमीर और शहना इनका शासन सँभालते थे । दिल्ली के आसपास के प्रदेश इस पद्धति के अंतर्गत थे ।

प्रशासनिक उपलब्धियों में अलाउद्दीन का स्थान उतना ही उच्च है जितना सैनिक उपलब्धियों में । उसने अनेक आंतरिक व बाह्य संकटों के होते हुए भी कुशल शासन–प्रणाली की स्थापना की थी ।

सैनिक सुधार अपनी फतवा–ए–जहाँदारी में जियाउद्दीन बरनी लिखता है कि "राजत्व दो स्तंभों पर आधारित रहता है–पहला स्तंभ है प्रशासन और दूसरा है विजय । दोनों स्तंभों का आधार सेना है...... यदि शासक सेना के प्रति उदासीन है तो अपने ही हाथों से राज्य का विनाश करता है ।" वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि "राजत्व ही सेना है और सेना राजत्व है।" मध्यकालीन राजत्व में सेना को अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता था ।

यह सच है कि अलाउद्दीन जैसा साम्राज्य निर्माता किसी भी प्रकार अपनी सेना की उपेक्षा नहीं कर सकता था । उसने सैनिक–प्रशासन के पुनर्गठन पर पूरा ध्यान दिया था । सन् 1303 में तरगी के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण ने सुल्तान को किलेबंदी की आवश्यकता के प्रति सचेत किया । उसने पुराने किलों की मरम्मत करवाई और सामरिक महत्व के स्थानों पर नए किलों का निर्माण किया । इन किलों में अनुभवी तथा विवेकशील सेनानायक नियुक्त किए। इन्हें 'कोतवाल' कहा जाता था । किलों में हर प्रकार के शस्त्रों, अनाज तथा चारे के भंडार को रखने की व्यवस्था भी की गई थी ।

विशिष्ट दृष्टि के कारण अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया । उसने इस स्थायी सेना की सीधी भरती की और केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सेना की इकाइयों का विभाजन हजार, सौ और दस पर आधारित था जो खानों, मलिकों, अमीरों, सिपहसिलारों इत्यादि के अंतर्गत थीं । दस हजार की सैनिक टुकड़ियों को 'तुमन' कहा जाता था । अमीर खुसरो के अभियानों के वर्णन से स्पष्ट है कि

अलाउद्दीन की सेना में भी 'तुमन' थे हालाँकि बरनी ने 'तुमन' का उल्लेख केवल मुगल सेना के संदर्भ में किया है।

मुख्य रूप से सेना में घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे, और हाथी भी युद्ध के समय प्रयोग किए जाते थे । दीवान–ए–आरिज सैनिकों की नामावली और हुलिया रखता था। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा को भी जारी रखा, जिससे निरीक्षण के समय किसी भी घोड़े को दुबारा प्रस्तुत न किया जा सके या उसके स्थान पर निम्न श्रेणी का घोड़ा न रखा जा सके । समय–समय पर सेना का कठोर निरीक्षण किया जाता था और घोड़ों, सैनिकों तथा उनके शस्त्रों की बारीकी से जाँच–पड़ताल की जाती थी । अमीर खुसरो का कहना है कि जो सेना वारंगल गई थी उसकी नामावली बनाने और निरीक्षण में चौदह दिन लगे थे ।

अलाउद्दीन ने स्थायी रूप से एक विशाल तैयार सेना रखी । फरिश्ता के अनुसार सुल्तान की विशाल सेना में 4,75,000 सुसज्जित और वर्दीधारी घुड़सवार थे । यथोचित रूप से निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिक को सरकारी भाषा में 'मुर्रत्तब' कहा जाता था। उसका वेतन सुल्तान द्वारा 234 टंका प्रतिवर्ष निश्चित किया गया था । उसके पास कम–से–कम एक घोड़ा होता था । यदि उसके पास दो घोड़े होते थे जो उसकी योग्यता में वृद्धि करते थे, तो उसे अतिरिक्त घोड़े के लिए 78 टंका का अतिरिक्त भत्ता मिलता था। इस प्रकार दो घोड़े वाला सैनिक, जिसे सरकारी भाषा में 'दो अस्पा' कहा जाता था, 312 टंका (234+78) प्रतिवर्ष वेतन पाता था । एक घोड़े वाले सैनिक को 'यक अस्पा' कहा जाता था । यह स्पष्ट है कि 'यक अस्पा' या दो से अधिक घोड़े रखने वाले सैनिक को कोई अतिरिक्त भत्ता न दिया जाता था । सैनिक को 234 टंका वार्षिक या 19) टंका मासिक वेतन मिलता था । एक अतिरिक्त घोड़े के व्यय के लिए उसे 6) टंका मासिक अधिक मिलते थे । सेना का वेतन कम था, किंतु अलाउद्दीन अपनी सेना को संतुष्ट रखना चाहता था और सैनिकों के कल्याण में अत्यधिक रूचि लेता था ।

अलाउद्दीन अपनी प्रजा के कल्याण में गहरी रूचि लेता था । मद्यनिषेध के सम्बन्ध में उसके नियम अत्यन्त प्रशंसनीय है । उसने मदिरा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का निषेध करवाया । यहाँ तक कि उसने स्वयं भी मदिरा का त्याग कर दिया । इतिहासकारों का कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया कि भोज–समारोहो में राजनीतिक षड्यन्त्र रचने की योजनाएँ न बनाई जाएँ, इसलिए भोज समारोहो पर रोक लगा दी । उसने व्यभिचारों तथा परस्त्रीगमन जैसे दोषों पर भी रोक लगा दी । व्यभिचारी कबीलों को समाप्त कर दिया । वेश्यावृत्ति समाप्त कर दी गई । नगर की सारी पेशेवर औरतों को निर्धारित समय में विवाह करने के लिए बाध्य किया। झूठी वैद्यगीरी को निरुत्साहित किया गया । जादूगरों के विरूद्ध भी कई नियम बनाए गए । इन नियमों द्वारा जादूगर तथा नीम–हकीम आतंकित हो गए । जुआ खेलने पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिबंध लगा दिया । यहाँ तक कि लोग मनोरंजन के लिए भी इसे नहीं खेल सकते थे ।

lUnHk lwph

कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया : खण्ड–3
ए0 एल0 श्रीवास्तव : द सल्तनत ऑफ देहली
आर0 एस0 त्रिपाठी : ऑस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेषन
आर्गेनाइजेषन ऑफ दि सेन्ट्रल गर्वमेन्ट अंडर दि तुर्कीष सुल्तान ऑफ देहली : जनरल ऑफ इंडियन हिस्ट्री – 1935
भी0 ए0 स्मिथ : ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया
सतीष चन्द्रा : मेडिभल इण्डिया फ्रार्म सल्तनत टू दि मुगल दो, भाग में
मे0 हबीब एवं के0 ए0 निजामी – दि देहली सल्तनत –1206 – 1526
गोड़ी षंकर हीरा चाँद ओझा–मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद, 1966
अवध बिहारी पाण्डेय – मध्यकालीन भारत
बी0 एस0 भार्गव : मध्यकालीन भारतीय इतिहास
एल0 पी0 षर्मा : मध्यकालीन भारत
बी0 डी0 महाजन : मध्यकालीन भारत
मजुमदार, राय चौधरी एवं दन्त : भारत का वृहत इतिहास (मध्यकालीन भारत)

स0 हरिष्चिन्द्र वर्मा : मध्यकालीन भारत, खण्ड – 1, 750–1540
स0 षिवकुमार गुप्त : मध्यकालीन भारत का इतिहास (1000–1526)
पी0 एन0 ओझा : मध्यकालीन भारत का सामाजिक जीवन, दिल्ली –1948
हरफान हबीब (संकलन) मध्यकालीन भारत (खण्डों में प्रकाषित)
यू0 एन0 डे0 : एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम ऑफ देहली सल्तनत

Mk- ccyw Bkdqj
0;k[;krk] bfrgkl foHkkx] jkeJ"B flag bUVj egkfo|ky;] pkpgk] et¶Qjiqj] fcgkj A